क्रिकेट | स्वर्गीय आर एस त्रिपाठी डे-नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता

सिद्ध बाबा और स्टाइल बॉयज की टीम ने जीते मैच

नवभारत, जबलपुर। सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक खमरिया के तत्वाधान में खेली जा रही स्वर्गीय आर एस त्रिपाठी डे-नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में दो मैच खेले गए। पहले मैच में सिद्ध बाबा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया तथा 10 ओवर में 142 रन बनाए। सिद्ध बाबा के रोबिन ने 19 बॉल में 55रन बनाए। दूसरी पारी में लेजेंड 11की टीम 9.3 ओवर में 53 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार सिद्ध बाबा की टीम ने यह मैच 89 रन से जीत लिया।

वहीं दूसरे मैच में स्टाइल बॉयज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया तथा 10 ओवर में 93 रन बनाए। मैच की दूसरी पारी में जेडीए बॉयज की टीम ने मात्र 9.5 ओवर में 51 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। स्टाइल बॉयज के राजा ने 1.5 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस प्रकार यह मुकाबला स्टाइल बॉयज की टीम ने 42 रन से जीत लिया। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रोबिन और दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच राजा रहे। मुख्य अतिथि के रूप में सेंट्रल अकादमी रांझी के ष्टश्वह्र विकास शुक्ला स्थ्र प्रतिक्षा शुक्ला आयुध निर्माणी खमरिया के विजय सिंह पूनम तोमर अनिल तोमर अल्का तोमर उपस्थित रहे। निर्णायक की भूमिका आनंद शर्मा अनुपम भौमिक भूपेंद्र गोटिया एवम निखिल यादव ने निभाई वहीं कमेंटेटर के रूप में सुनील खत्री मौजूद रहे।

जेपी को हराकर जबलपुर क्लब सेमीफाइनल में पहुंचा

▸ सीएन सुब्रह्मण्यम स्मृति अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता

नवभारत, जबलपुर। सीएन सुब्रह्मण्यम स्मृति अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में जबलपुर क्रिकेट क्लब ने जेपी क्लब को 8 विकेट से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जेपी क्लब ने सभी विकेट खोकर 133 रन बनाए। आराध्य शर्मा ने सर्वाधिक 54, अक्षत ने 22 और आर्यमन सिंह ने 21 रन का योगदान दिया। जबलपुर क्रिकेट क्लब से अमित कुमार ने 4, अनुभव सिंह ठाकुर तथा आदित्य सिंह ठाकुर ने 2-2 तथा प्रिंस शर्मा ने एक विकेट लिया।

मात्र 16 .4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया

जवाब में जबलपुर क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने मैच को एकतरफा बनाते हुए 16.4 ओवर में 2 विकेट पर 135 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीता, अनुभव सिंह ठाकुर ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 79 रन की पारी में 13 चौके और 2 छक्के जड़े, शौर्य पचौरी ने 27 तथा अमित कुमार ने नाबाद 19 रन की पारी खेली। जेपी क्लब से सम्राट गुप्ता और शिवम् यादव ने 1-1 विकेट लिया। मैच के अम्पायर अशोक सिंह, संदीप बर्मन तथा स्कोरर सिमरन रही।

अनुभव सिंह बने मैन ऑफ द मैच

मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जाने माने पूर्व क्रिकेटर तथा जबलपुर क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर द्वारा पवन सिंधिया, प्रतीक खरे, हरीश शर्मा, युवराज विश्वकर्मा आदर्श सिन्हा, महेंद्र सिंह राहुल कोष्टा, सनी सोनकर, रूपेश सैन गुप्ता, लिखित, श्रद्धा चौधरी तथा दीपू की उपस्थिति में जबलपुर क्रिकेट क्लब के कप्तान अनुभव सिंह ठाकुर को प्रदान की गई। 29 मई को नरसिंहपुर और जबलपुर क्रिकेट क्लब के बीच मैच खेला जाएगा।

कैम्प में बच्चों को मिलती है आत्मरक्षा की ट्रेनिंग

▸ समर बॉक्सिग फाइट का पार्षद अग्रवाल ने किया शुभारंभ

जबलपुर 28 मई। खेल युवा कल्याण विभाग और मध्य प्रदेश ओलिंपिक संघ के तत्वावधान में रानीताल खेल परिसर में समर बॉक्सिंग फाइट का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय समर बॉक्सिग फाइट का शुभारंभ 28 मई को मुख्य अतिथि कमलेश अग्रवाल पार्षद अग्रसेन वार्ड द्वारा किया गया।

इससे पूर्व मुख्य अतिथि कमलेश अग्रवाल का स्वागत परमजीत सिंह, विक्रम अवार्डी और कार्यक्रम के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह ठाकुर का स्वागत नूपुर पांडे और अरुण विश्वकर्मा ने गुलदस्ता भेंट कर किया। अपने उद्‌बोधन में कमलेश अग्रवाल ने कहा कि ग्रीष्मकालीन कैम्प के दौरान बच्चों को खेल से आत्मरक्षा करने की हिम्मत मिलती है। वीरेंद्र सिंह ने स्वागत भाषण में कहा कि 2 महीने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग से बॉक्सर को आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। फाइट का आयोजन आशीष पांडे जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन शानू यादव द्वारा किया गया।

बोलेरो से ढुल रही अवैध शराब जब्त, एक गिरफ्तार

▸ नेशनल हाईवे-30 पर नाकेबंदी कर बिछिया पुलिस ने दबोचा अवैध शराब का जखीरा

भुआबिछिया, नवभारत। मंडला जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं परिवहन के विरुद्ध पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक मंडला राजेश रघुवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देशन और एसडीओपी सौरव तिवारी के मार्गदर्शन में थाना बिछिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध शराब के परिवहन का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मुखबिर के माध्यम से पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 51 बीबी 1219 में अवैध रूप से देशी व अंग्रेजी शराब भरकर बिछिया से औरई की ओर ले जाई जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए बिछिया पुलिस टीम ने तत्काल एक्शन लिया और नीरज ढाबा के सामने नेशनल हाईवे 30 बंजारी पर योजनाबद्ध तरीके से नाकाबंदी कर दी। कुछ ही देर में संदेहास्पद बोलेरो आती दिखाई दी, जिसे रोककर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उसकी विधिवत तलाशी ली गई।

गाड़ी से बरामद हुई भारी मात्रा में शराब

वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा मिला। कार्रवाई के दौरान वाहन से कुल 104.1 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें 300 क्वार्टर देशी मदिरा (प्लेन), 125 क्वार्टर गोवा अंग्रेजी शराब, 24 बोतल एवं 24 केन बियर 500 एमएल बरामद की गई। इस अवैध शराब की कुल अनुमानित कीमत लगभग 48 हजार 555 रुपये आंकी गई है।

उत्तर प्रदेश का एक आरोपी गिरफ्तार

शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शेषनारायण शुक्ला पिता श्रीराम हर्ष शुक्ला, 23 वर्ष, निवासी भटरी, थाना राजापुर, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा शराब परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। अवैध रूप से शराब का परिवहन पाए जाने पर पुलिस ने 48,555 मूल्य की शराब और तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन अनुमानित कीमत 5 लाख को विधिवत जप्त कर लिया। इस प्रकार पुलिस ने कुल 5 लाख 48 हजार 555 रुपये की संपत्ति अपने कब्जे में ली है। आरोपी के खिलाफ थाना बिछिया में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है।

कार्रवाई में इनका रहा सराहनीय योगदान

इस पूरी सफ़ल कार्रवाई में थाना प्रभारी बिछिया निरीक्षक रंजीत सिंह सैयाम के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक बालमुकुंद चौरसिया, राजेश यादव, शिव शंकर राजपूत, प्रधान आरक्षक योगेश सरोते, आरक्षक सुनीराम मरावी, भीकम सिंह एवं महेंद्र रहंगडाले की विशेष और सराहनीय भूमिका रही।

अमरकंटक यात्रा को जगतगुरू डॉ. बालगोविन्दाचार्य ने किया रवाना

जबलपुर, नवभारत। विगत 23 मई को स्वयं सिद्ध हनुमान प्रभात फेरी के द्वारा अमरकंटक बस सेवा यात्रा रात्रि 8 बजे रवाना की गई। जिसका विधिवत पूजन अर्चन कर जगतगुरू डॉ. बालगोविन्दाचार्य महाराज, महतरामजीशरण महाराज, सांई मंदिर प्रमुख शिव पाठक के सानिध्य में एवं मुख्य अतिथि के रूप में सांसद आशीष दुबेके बड़े भाई आशुतोष दुबे, राकेश सिंह मंत्री मध्यप्रदेश शासन के छोटे भाई लेखराज मुन्ना भैया, यात्रा के संयोजकठाडेश्वर महावर के साथ सभी ने मिलकर झंडी दिखाकर यात्रा अमरकंटक माँ नर्मदा जी के दर्शन के लिए रवानाकी। इस अवसर पर राजेन्द्र तिवारी, गुरूदयाल महावर, राजेश चौबे, मूरत सिंग ठाकुर, पुष्पा महावर, शशि सिगरौरे, राकेश चौधरी, प्रभात पटैल, देवलाल, राजेश दुबे, संजय लोधी, बदन सिंग, शेषमणी पटैल आदि मौजूद थे।

नर्मदा पुष्कर बांध में डूबा 45 वर्षीय युवक

शव तलाशने एसडीआरएफ की टीम रवाना

अमरकंटक, नवभारत 28 मई। नर्मदा पुष्कर बांध में गुरुवार दोपहर एक 45 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की 5 सदस्यीय गोताखोर टीम को रवाना किया गया।

जानकारी के अनुसार बराती निवासी सुरेश सिंह धुर्वे गुरुवार सुबह घर से इंडियन गैस एजेंसी में गैस सिलेंडर ट्रक खाली कराने के कार्य के लिए निकले थे। घर से निकलते समय उन्होंने अपनी भाभी से कहा था कि वह कुछ पैसे कमाकर जल्द वापस लौट आएंगे। कार्य समाप्त होने के बाद वह नर्मदा पुष्कर बांध पहुंचे और नहाने के उद्देश्य से पानी में उतर गए।

आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का किया प्रयास

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुरेश सिंह धुर्वे ने बांध की पटरी से गहरे हिस्से की ओर छलांग लगा दी। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद जब वह पानी से बाहर नहीं निकले तो आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए बचाव का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह गहरे पानी में समा चुके थे।

अत्यधिक गहराई से तैराकों ने अंदर जाने से किया मना

बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर युवक डूबा, वहां पानी की गहराई लगभग 35 से 40 फीट है। अत्यधिक गहराई के कारण स्थानीय तैराकों एवं गोताखोरों ने अंदर जाने से मना कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। घटना के बाद पुष्कर बांध तट पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार

मंडला। जिला मुख्यालय की कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित मोटर साइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरोह के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अलग-अलग कंपनियों की 7 चोरी की मोटरसाइकिलें जप्त की गई हैं। जप्त किए गए कुल मशरूके की अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपये आंकी गई है।

बताया गया कि पुलिस टीम द्वारा संदेहास्पद स्थिति में घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लग्जरी मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वाहन चोरी के इस संगठित नेटवर्क में शामिल गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कृष्णा सोनी पिता योगेश सोनी, 19 वर्ष, निवासी बिनेका तिराहा, मंडला है। इसके पास से पैशन प्लस बाइक बरामद हुई है। इसके साथ ही अमन नंदा पिता बैसाखी लाल नंदा, 22 वर्ष, निवासी ग्राम पंडरिया, थाना करंजिया, जिला डिंडोरी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से अन्य चोरी की गाड़ियां बरामद की गईं।

कोतवाली पुलिस ने दोनों शातिर आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया है। पुलिस आरोपियों से अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में भी कड़ाई से पूछताछ कर रही है।

इनका रहा सराहनीय योगदान

वाहन चोर गिरोह को दबोचने की इस सफल कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक शफीक खान के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक भुनेश्वर वामनकर, तारा जिक्राम, वंदना नाग, प्रधान आरक्षक अशोक मार्को, मोहन कुड़पे, आरक्षक प्रियांश, रमेश, मृदुल, मानसिंह, हनु मार्को, धर्मेन्द्र एवं धीरेंद्र टेकाम की विशेष और सराहनीय भूमिका रही।

ग्राम पंचायत देवरी में जमीन विवाद ने पकड़ा तूल

अनूपपुर, नवभारत 28 मई। जिले के फुनगा चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी में जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गांव निवासी शांति प्रजापति ने पड़ोसियों पर बाड़ी की बाउंड्री वॉल तोड़ने, कुएं को नुकसान पहुंचाने तथा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़िता ने अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार घटना शाम करीब 3 बजे से रात 7 बजे के बीच की बताई जा रही है। शांति प्रजापति ने फुनगा चौकी में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि गांव की चंद्रवती, उसका पुत्र शंभू एवं दोनों बहुएं उनकी बाड़ी में जबरन घुस आए और वहां निर्मित ईंट की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। साथ ही कुएं को भी नुकसान पहुंचाया गया।

आरोपियों ने महिला से की अभद्रता

पीड़िता का कहना है कि वह उक्त जमीन पर लंबे समय से निस्तार करती आ रही हैं। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने अभद्रता करते हुए गाली-गलौज की तथा झूठे मामलों में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। शांति प्रजापति ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

दोषियों पर कार्यवाही की मांग

इससे परेशान होकर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के माध्यम से उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते विवाद का समाधान नहीं हुआ तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री राजू, श्रीमती विनीता बाई किराना किराना दुकान (प्रॉस्पेक्ट नंबर आईएल10839421)	पटवारी हल्का नंबर 65, खसरा नंबर 124, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, ग्राम हीरापुर, तहसील शाहपुरा भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश 483119, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र- 900 .00, 400 .00	रुपये 327553/- (रु. तीन लाख सत्ताइस हजार पांच सौ तिरेपन मात्र)	10-02-2026	25-05-2026
श्री फिरोज खान श्रीमती फरहा नाज (प्रस्ताव संख्या आईएल11003422)	यूनिट संख्या -एनई36/105, फ्लोर संख्या 0, डमी, ईडब्ल्यूएस खसरा संख्या 1548/4 और 1560/1-5, खिराहानी, प्रेम नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482001 का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: विक्रय योग्य क्षेत्रफल कालीन क्षेत्रफल: 323 .00 वर्ग फुट	रुपये 195091/- (रु. एक लाख पिंच्यानवे हजार इंक्यानवे मात्र)	10-02-2026	25-05-2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 249, द इनफिनिटी, प्रथम तल, एम.पी. नगर, जोन-2, तुलसी होटल के पास, भोपाल-462011 /या **कार्पोरेट ऑफिस-** प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- जबलपुर, दिनांक- 29-5-2026 — **प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**